कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव)/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड

85 राजपुर रोड, देहरादून, फोन नं० 0135–2742884 फैक्स न० 0135–2745691 ईमेल–cwlwua@yahoo.co.in

पत्र संख्या 179 /6-28 देहरादून, दिनांक 25 जुलाई, 2022

सेवा में,

1. समस्त क्षेत्रीय प्रभागीय वनाधिकारी / उप निदेशक, उत्तराखण्ड।
2. समस्त वन संरक्षक, क्षेत्रीय वन संरक्षक / निदेशक उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, कुमाऊँ, कॉर्बेट टाईगर रिजर्व, नंदादेवी बॉयोस्फियर रिजर्व।

विषयः मानव वन्यजीव संघर्ष के प्रकरणों में वन्य प्राणियों को पकड़े जाने अथवा नष्ट किये जाने हेतु विधिक प्राविधान एवं दिशा–निर्देश।

महोदय,

आप अवगत हैं कि उत्तराखण्ड एक वन एवं वन्यजीव बाहुल्य राज्य हैं। यहां समय–समय पर मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएँ हो जाती हैं, जिसमें परिस्थितियों के अनुरूप आपके स्तर से इस कार्यालय को विभिन्न वन्यजीवों को पकड़े जाने अथवा नष्ट किये जाने हेतु अनुमति / अनुरोध पत्र प्रेषित किये जाते हैं। इस विषय में निम्न बिन्दुओं पर आपका विशेष ध्यान अपेक्षित है :–

1. वन्यजीव संरक्षण (अधिनियम) 1972 के अन्तर्गत किसी भी अनुसूचित वन्यजीव के आखेट / पकड़े जाने अथवा नष्ट किये जाने की व्यवस्था धारा–9 एवं 11 में प्राविधानित है। सुलभ संदर्भ हेतु उक्त को यहां उदृत किया जा रहा है।

अध्याय–3

वन्य प्राणियों का आखेट करना

(9) वन्य प्राणियों का शिकार निषेध।

काई भी व्यक्ति अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3, और अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट किसी भी वन्य प्राणी का, धारा 11 और धारा 12 के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय, शिकार नही करेगा।

(11) कुछ परिस्थितियों में वन्य प्राणियों के आखेट की अनुज्ञा का दिया जाना।

तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी और अध्याय –4 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए

(क) यदि मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक का समाधान हो जाता है कि अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट कोई वन्य प्राणी मानव जीवन के लिए खतरनाक हो गया है या ऐसी निःशक्त या रोगी है कि ठीक नही हो सकता है, तो वह लिखित आदेश द्वारा और उसके लिए कारण दर्शाते हुए किसी व्यक्ति को ऐसे प्राणी का आखेट करने या उसका आखेट करवाने की अनुज्ञा दे सकेगा।

परन्तु किसी वन्य प्राणी को मारने का आदेश तब तक नही दिया जायेगा जतब कि मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का यह समाधान नही हो जाता है कि एसा प्राणी पकड़ा नही जा सकता, शान्त नही किया जा सकता या स्थानान्तरित नहीं कया जा सकता।

परन्तु यह और कि ऐसे पकड़े गये किसी भी प्राणी को बन्दी बनाकर नहीं रखा जायेगा जब तक कि मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक का यह समाधान नही हो जाता है कि ऐसे प्राणी का वन्य में पुनर्वास नहीं किया जा सकता और इसके लिए कारण अभिलिखित कर लिए गये हैं।

स्पष्टीकरण – खण्ड (क) के प्रयोजनों के लिए ऐसे प्राणी के यथास्थिति, पकड़ने या स्थानान्तरण की प्रक्रिया, ऐसी रीति से की जायेगी ताकि उस प्राणी को न्यूनतम आघात पहुंचे।

(ख) यदि मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक या प्राधिकृत अधिकारी को यह समाधान हो जाता है कि अनुसूची 2, अनुसूची 3 यह अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट कोई वन्य प्राणी मानव जीव के लिए या सम्पत्ति (जिसके अन्तर्गत किसी भूमि पर खड़ी फसल हैं) के लिए खतरनाक हो गया है या ऐसा निःशक्त या रोगी है कि ठीक नही हो सकता है तो वह लिखित आदेश द्वारा और उसके लिए कारण दर्शाते हुए किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र (ऐसे प्राणी या प्राणियों के समूह का आखेट करने या उस विनिर्दिष्ट क्षेत्र में एसे प्राणी या प्राणियों के समूह का आखेट करवाने की अनुज्ञा दे सकेगा)।

2) स्वयं अपने या किसी अन्य व्यक्ति की प्रतिरक्षा में किसी वन्य प्राणी को सद्भावपूर्वक मारना या घायल करना कोई अपराध नही होगा।

परन्तु इस उपधारा की कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति जो, जब ऐसी प्रतिरक्षा आवश्यक हो जाये, इस अधिनियम के प्रावधानों या उसके अधीन बनाए गये किसी नियम या आदेश के किसी उपबन्ध के उल्लंघन में कोई कार्य कर रहा था को विमुक्त नहीं करेगी।

3) किसी व्यक्ति की प्रतिरक्षा में मारा गया या घायल किया गया कोई वन्य प्राणी सरकारी सम्पत्ति होगा।

2. बाघ एवं गुलदार द्वारा किसी मानव की दुखद मृत्यु अथवा घायल किये जाने की परिस्थिति में राजकीय व्याघ्र परिरक्षण संगठन (NTCA) द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating System) निर्धारित की गई है जिसके अंशों को भी सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न किया जा रहा है।

3. उपरोक्त के अवलोकन से स्पष्ट है कि किसी असामान्य प्रवृत्ति के बाघ अथवा गुलदार को मानव जीवन के लिए खतरा घोषित करने का प्रमुख आधार मौके की परिस्थितियां एवं साक्ष्य होंगे। कुछ अवसरों पर अचानक आकस्मिक सामना हो जाने पर भी कोई दुर्घटना हो जाती है परन्तु ऐसी घटनाओं की पूरी तरह जांच पड़ताल के बाद ही किसी निर्णय पर पंहुचा जा सकता है।

4. ऐसी किसी भी घटना के लिए उत्तरदायी वन्यजीव को चिन्हित कर पिंजड़े में अथवा ट्रेंकुलाईजिंग विधि द्वारा पकड़ा जाना ही प्रथम विकल्प है। ऐसे वन्यजीव को नष्ट किये जाने का विकल्प अंतिम होगा जबकि अन्य सभी विकल्प विफल हो गये हों।

5. राज्य के मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक से यह भी अपेक्षा है कि किसी ऐसे वन्यजीव को मानव जीवन के लिए खतरा घोषित करने के लिए लिखित में कारण अंकित किये जायेंगे।

6. आपसे अपेक्षा है कि यदि मानव वन्यजीव संघर्ष की कोई दुखद घटना होती है तो उपरोक्त विधिक प्राविधानों एवं दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखते हुए ही ऐसे वन्यजीव को पकड़े जाने अथवा अंतिम विकल्प के रूप में नष्ट करने हेतु पूर्ण विवरण एवं औचित्य सहित इस कार्यालय को यथाशीघ्र प्रेषित करें। इसके अभाव में ऐसे प्रकरणों पर निर्णय लेने में कठिनाई होगी।

7. मानव वन्यजीव संघर्ष के मामलों में किसी व्यक्ति की दुखद मृत्यु अथवा घायल होने की दशा में क्षेत्र में स्थानीय नागरिकों में रोष एवं भय व्याप्त होना स्वाभाविक है। आपसे अपेक्षा है कि ऐसे प्रकरणों में त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करें जिससे जनसाधरण में विश्वास उत्पन्न हो तथा वे अपने आपको भय मुक्त महसूस कर सके। बच्चों से सम्बन्धित मामलों में और भी संवेदनशीलता के साथ कार्यवाही अपेक्षित है। इस हेतु क्षेत्र में नियमित जनसंपर्क भी किया जाये एवं मा0 जनप्रतिनिधियों एवं मीडिया का भी सहयोग प्राप्त करने का पूर्ण प्रयास किया जाये।

8. ऐसे मामलों में प्रचलित शासकीय नियमों के अनुरूप देय अनुग्रह राशि का भुगतान भी यथाशीघ्र करने की कार्यवाही की जाये। यद्यपि कोई भी धनराशि किसी मानव क्षति की पूर्ति नही कर सकती परंतु घटना से पीड़ित परिवार को तत्काल सहयोग प्रदान करने से इस विषम घड़ी में उन्हे संबल मिलेगा।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

संलग्नक :– यथोपरि।

भवदीय,

25/7/22

प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव)/
मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक,
उत्तराखण्ड।

संख्या 179 /6-28 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :– प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड को सादर संज्ञनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अपर प्रमुख वन संरक्षक, प्रशासन, वन्यजीव सुरक्षा एवं आसूचना, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

25/7/22

प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव)/
मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक,
उत्तराखण्ड

संख्या 179/6-28 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :– प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन को सादर संज्ञानार्थ प्रेषित।

25/7/22

प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव)/
मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक,
उत्तराखण्ड।

ANNEXURE-II

GUIDELINES FOR DECLARATION OF BIG CATS AS 'DANGEROUS TO HUMAN LIFE'

(UNDER SEC 11 (1)(A))

***

- Both tiger as well as leopard are known to cause habituated loss of human life (animal dangerous to Human Life). Such confirmed animals which have become 'dangerous to Human Life' should be eliminated as per the statutory provisions provided in section 11 of the Wildlife (Protection) Act, 1972.
- Tiger as well as leopard are categorized under Schedule I of the Wildlife (Protection) Act, 1972, with highest statutory protection against hunting under section 9 (1) of the said Act. Hence, such species can be killed if they become dangerous to human life or are so disabled/ diseased beyond recovery.
- Under section 11 (1) (a) of the Wildlife (Protection) Act, 1972, the Chief Wildlife Warden of a State alone has the authority to permit hunting of such animals becoming dangerous to human life or disabled or diseased beyond recovery. However, as per the statutory requirement, the Chief Wildlife Warden of the State has to state in writing the reasons for permitting elimination before hunting.
- There are several reasons for a big wild cat like tiger or a leopard to get habituated as becoming 'dangerous to Human Life', viz. disability due to old age, incapacitation due to serious injury or loss/breakage of its canines etc. However, there may be several exceptions, and hence

specific reasons have to be ascertained on a case to case basis.

- The tiger bearing forests and areas nearby prone to livestock depredation, besides having human settlements along with their rights and concessions in such areas, are generally prone to becoming 'dangerous to Human Life'. Besides, loss of habitat connectivity in close proximity to a tiger source area owing to various land uses also foster straying of tiger near human settlements, eventually ending up as an animal which is 'dangerous to Human Life'.

Suggested Steps on Loss of Human Life Due to Tiger/ Leopard

- Constitute a team for technical guidance and monitoring on day to day basis, as below:
  - A nominee of the Chief Wildlife Warden
  - A nominee of the National Tiger Conservation Authority A veterinarian
  - Local NGO representative
  - A representative of the local Panchayat
  - Field Director/Protected Area Manager/DFO I/C-Chairman
- Set up camera traps near kill sites, besides creating pug impression pads to monitor the day to day spatial movement of the wild carnivore.
- Inform the district officials (Collector/DM/SP) for duly alerting the local people to refrain temporally from the area where human death(s) has/have been reported, besides ensuring tranquility in the area from mobs/ crowds of local people.
- Obtain/establish the ID of the aberrant animal causing loss of human life, through the committee constituted for the purpose, through camera trappings or direct sightings or pug impressions if camera trappings could not be done, besides collecting pieces of hair/scats of the carnivore (if available) for DNA profiling.
- A differentiation should be made between 'human kill' due to chance encounters and 'habituated animals which have become dangerous to Human Life'. As most of our forests outside protected areas are right burdened, the probability of chance encounters is very high. Further, tigers often use agriculture/sugar cane field and similar

cover along river courses while feeding on livestock or blue bull, which may also cause lethal encounters with human beings. Such animals should not be declared as 'Dangerous to Human Life'. However, confirmed habituated tiger/leopard which 'stalk' human beings and feed on the dead body are likely to be 'Dangerous to Human Life'.

- The declaration of an aberrant tiger/leopard as an animal which has become dangerous to Human Life requires considerable examination based on field evidences. At times, the human beings killed due to chance of encounters may also be eaten by the animal (especially an encumbered tigress in low prey base area). However, such happenings are not sufficient for classifying a tiger/leopard as a 'Dangerous to Human Life', which can best be established only after confirming the habituation of the aberrant animal for deliberate stalking of human beings, while avoiding its natural prey.
- Under no circumstances, mere an animal resorting to cattle depredation should be declared as 'dangerous to Human Life', despite the fact it may venture close to human settlements. To avoid untoward incidents in such situations, the efforts to trap the animal (chemical immobilization/use of traps) should alone be resorted to.
- Set up trap cages (automatic closure) in areas most frequented by the carnivore (with appropriate luring) for trapping.
- In case successive trapping operation fails set up an expert team for chemical immobilization of the aberrant animal as per the annexed protocol.

- The option of capturing the aberrant animal either through traps or chemical immobilization should be invariably resorted to as the first option. The wild carnivore thus captured, should be sent to a nearest recognized zoo and NOT released in the wild.
- Elimination of a tiger/leopard as a 'Dangerous to Human Life' should be the last option, after exhausting the option of capturing the animal live as detailed in the SOP.
- The Chief Wildlife Warden of the State after the above due diligence should record in writing the reasons for declaring the tiger/leopard as a 'dangerous to Human Life'.
- After 'declaring' the animal as 'dangerous to Human Life', its elimination should be done by a Departmental personnel having the desired proficiency, while providing the fire arm with the appropriate bore size. In case, such expertise is not available within the Department, an expert may be co-opted from the other competent Government Departments.
- No award/reward should be announced for destruction of animals which have become 'dangerous to Human Life'.

*****